



GOVT. COLLEGE OF DENTISTRY, INDORE (M.P.)

1, Sardar Patel Marg, Opp. M.Y. Hospital (M.P.) 452001
Ph.: 0731-2701808, Telefax: 0731 – 2701608, 2703737
E-mail: indoregdc@gmail.com, Website: www.gdcindore.org

Check List of PG Admission - Original Documents

SN	Documents	Submit (✓) / Not Submit (x)
1	Duly filled Institutional Admission Form	
2	Admit Card (Color printout, duly attested by candidate photograph pasted)	
3	Score Card/Rank Letter (Color Print)	
4	Allotment Letter (Color Print)	
5	10 th Mark sheet and Certificate	
6	11 th Mark Sheet	
7	12 th Mark Sheet and Certificate	
8	BDS 1 st year Mark sheet	
9	BDS 2 nd year Mark sheet	
10	BDS 3 rd Year Mark Sheet	
11	BDS 4 th Year Mark Sheet	
12	Internship Completion Certificate	
13	BDS Degree	
14	Dental Council Registration Certificate	
15	Transfer Certificate	
16	Migration Certificate	
17	Photo ID Proof Aadhar Card (Color Print)	

18	EWS Certificate (Current Financial Year)- <i>if applicable</i>	
19	MP Domicile Certificate	
20	Caste Certificate	
21	Income Certificate (current year only).	
22	Disability Certificate	
23	Proforma 3 4 5 (for NRI)	
24	Seat Leaving Bond (Proforma 2)	
25	Rural Service Bond (Proforma 2)	
26	Proforma 6 (Affidavit)	
27	Proforma 7 (Affidavit)	
28	Gap Affidavit (Rs. 100/- stamp paper)	
29	Affidavit on Rs. 500/- stamp (Regarding submission of Bond and Deposition of caution money/security deposit at the time of admission)	
30	Fee Receipt	
31	DCI Form	
32	Two set photocopy of original Documents (<i>self attested</i>)	
33	5 Photograph	

प्रारूप-1
प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा
(दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु)

भाग-अ (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम 10 मई 2023 तथा संशोधन 02 जुलाई 2024 को भलीभांति पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे म0प्र0 राज्य के दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम की जानकारी है। तत्पश्चात ही नियमों एवं दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

मैं आवंटन के अनुक्रम में प्रवेश हेतु मूल प्रमाणपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

- 1/ **NEET PG (MD/MS) 2025/NEET (MDS) 2025** परीक्षा का रोल नंबर
- 2/ आल इण्डिया मेरिट सूची क्रमांक
- 3/ पूरा नाम:
- 4/ माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता
- 5/ श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/.....
अन्य पिछड़ा वर्ग,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) ।
- 6/ प्रवर्ग- दिव्यांग :
- 7- कोटा- ओपन/अनिवासी भारतीय कोटा (NRI)/सेवारत
- 8/ अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नं. एवं ई-मेल आई.डी.

मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें

1. नीट एम0डी0एस0 2025 चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटो युक्त प्रति अथवा प्रवेश पत्र। ☐
2. अनिवार्य इन्टर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति । ☐
3. बीडीएस परीक्षाओं के अंतिम प्रोफ की अंकसूची। ☐
4. मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल में स्थाई पंजीयन (Permanent registration) के प्रमाण पत्र अथवा पंजीयन हेतु आवेदन की पावती। ☐
5. अभ्यर्थी की फोटो आई0डी0 प्रूफ ड्राईविंग लाईसेंस/आधार/वोटर कार्ड/ पेन कार्ड/ पासपोर्ट की फोटो कॉपी। ☐
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जारी किया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र (EWS) (यदि लागू हो)। ☐
7. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)। ☐

8. मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)। ☐
9. मध्य प्रदेश राज्य के तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के कीमी/नॉनकीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो)। ☐
10. दिव्यांग प्रवर्ग हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं केन्द्र सरकार के विनिर्दिष्ट दिव्यांगता केन्द्र से जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाण पत्र । ☐
11. अनिवासी भारतीय कोटे से सीट आवंटित होने की दशा में प्रोफार्मा 3,4,5 के अनुसार दिया जाने वाला शपथपत्र । ☐
☐
12. सीट लिविंग बॉण्ड प्रोफार्मा-2 (क)। ☐
13. ग्रामीण सेवा बंध पत्र प्रोफार्मा-2(ख) । ☐
☐
14. मध्य प्रदेश के अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र) का लाभ प्राप्त नहीं करने संबंधी शपथ पत्र एवं किसी अन्य राज्य से मूल निवासी का लाभ नहीं लिये जाने संबंधी शपथपत्र प्रोफार्मा-6। ☐
☐
15. स्टाईपेंड एवं अनुशासन संबंधी वचन पत्र प्रोफार्मा-7 । ☐

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रोफार्मा

भाग-ब (स्कूटनी (छानबीन) समिति द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूटनी के समय उपस्थित अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर का एन.बी.ई. नई दिल्ली द्वारा प्रेषित **NEET MDS 2025** में सम्मिलित परीक्षार्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर डाटा से मिलान करने के बाद सही पाया गया है अथवा भिन्नता पाई गई है ।

भिन्नता की स्थिति में टिप्पणी –

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं, एवं जमा किये गये मूल दस्तावेजों का अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभ्यर्थी को प्रदान किया गया ।

सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये पात्र है

अथवा

निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण/या अन्य कारणों से आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये अपात्र हैं :-

- 1.....
- 2.....
- 3.....

स्कूटनी/प्रवेश समिति के अध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम,
पदनाम

स्कूटनी समिति के सदस्य के
हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम, पदनाम

स्कूटनी समिति के सदस्य के
हस्ताक्षर मय दिनांक, नाम,
पदनाम

(प्रारूप-6)
नोटराइज्ड शपथ-पत्र

(रूपये 100 के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)
मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी / मूल निवासी अभ्यर्थी के द्वारा दिया जाने
वाला शपथ-पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री.....
निवासी.....मध्यप्रदेश के दंत चिकित्सा
महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र में प्रवेश
हेतु अभ्यर्थी हूं।

मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा
प्रवेश नियम 2018, संशोधन 19 जून 2019, संशोधन 05 अक्टूबर 2021,
संशोधन 26 जुलाई 2022, 10 मई 2023 तथा संशोधन 02 जुलाई 2024 को
भलीभांति पढ़कर समझ लिया है।

मैं शपथ पूर्वक यह कथन करता / करती हूं कि मैंने अन्य राज्य से स्थानीय
निवासी / मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, एवं मैंने अन्य किसी राज्य
से स्थानीय निवासी/मूल निवासी होने का लाभ प्राप्त नहीं किया है। मैंने यह भली
भांति समझ लिया है कि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरा
प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा
सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम-

पता-

दिनांक-

प्रारूप-7

//वचन पत्र//

(स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय रु. 100/के नोटराईज्ड स्टाम्प पेपर पर निष्पादित)

मैं,.....पुत्र/पुत्री.....

.नीट एम0डी0एस0 वर्ष.....रोल नंबर.....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 एवं संशोधनों का भली-भाँती अध्ययन कर समझ लिया गया है।
2. मुझे शासन द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड (यदि लागू हो) का संज्ञान है, एवं मैं उक्त निर्धारित शुल्क एवं मासिक स्टायपेंड से सहमत हूँ।
3. मैं सदैव IMC Regulation 2002 (professional, etiquette and ethics) का पालन करूंगा/करूंगी एवं पाठ्यक्रम की अवधि में किसी भी स्थिति में अनुशासनहीनता, रेगिंग एवं अन्य अनुशासनहीनता से संबंधित गतिविधियों में संलिप्तता नहीं होगी। मैं किसी भी स्थिति में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं रहूंगा/रहूंगी एवं किसी भी हड़ताल (Strike) में शामिल नहीं होऊंगा/होऊंगी। संलिप्तता पाये जाने पर मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 17 (3) के अन्तर्गत मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
4. मैं शासन के विधि द्वारा स्थापित समस्त अधिनियम तथा समय-समय पर जारी समस्त कार्यपालिक निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।

वचनग्रहीता

मेरे द्वारा वचनपत्र में दी गई समस्त जानकारी सही एवं सत्य है जिसका सत्यापन आज दिनांक को स्थान में मेरे द्वारा सत्यापन किया गया।

वचनग्रहीता

(1) गवाह :-

नाम.....

पता.....

मोबाईल नंबर.....

(2) गवाह :-

नाम.....

पता.....

मोबाईल नंबर.....

(3) पिता/अभिभावक का नाम -

पता

मो.नं.....

ईमेल.....

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल : mpugpgcounselling@gmail.com

दूरभाष क्र. 0755-2557855

वेबसाईट: www.medicaleducation.mp.gov.in फैक्स

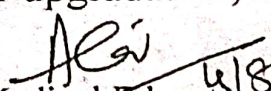
दिनांक 04/08/2023

स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय जमा किये जाने वाले बंध पत्र एवं
सिक्यूरिटी/कॉशन मनी के संबंध में

प्रथम/द्वितीय चरण से आवंटित अभ्यर्थी जो अगले चरण/ चरणों की काउंसिलिंग हेतु अपग्रेडेशन ऑप्शन लेना चाहते हैं को आवंटित संस्था में प्रवेश के समय रु0 500/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र संस्था के अधिष्ठाता/प्राचार्य के नाम पर निष्पादित करना होगा कि अगले चरण/चरणों में अपग्रेड न होने की स्थिति में अभ्यर्थी संबंधित प्रवेशित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य के नाम पर पृथक-पृथक ग्रामीण सेवा बॉण्ड एवं सीट लिविंग बॉण्ड, प्रोफार्मा-8 के अनुसार सम्यक रूप से स्टाम्पित शपथ पत्र (0.5% of Bond amount) पर अधिष्ठाता (शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पर) तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश (निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पर) के नाम निष्पादित करेगा। इसके अतिरिक्त संस्था केवल अंतिम रूप से प्रवेशित अभ्यर्थियों से ही कॉशन मनी/सिक्यूरिटी की राशि जमा करा सकेंगे (Candidates who are not opting for upgradation)।

Regarding submission of bond and Deposition of Caution
money/Security Deposit at the time of admission

Allotted candidates from First/Second round of counselling who wish to opt for upgradation in subsequent round/rounds of counselling will have to furnish an affidavit on Rs. 500/- stamp paper to the Dean/Principal of the institution, stating that in case of candidate not upgrading in subsequent round/rounds, he/she will furnish rural service and seat leaving bond separately (as per proforma-8) in the name of Dean (in case of admission in Government Medical/Dental colleges) or Director Medical Education MP (in case of admission in Private Medical/Dental colleges). In addition to this institute shall take the Security money /Caution money from the finally admitted candidates only (Candidates who are not opting for upgradation) .


Director Medical Education
Madhya Pradesh